अनुसूची 14–फारम सं0– 462

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक – ता0..... से .....तक

जिला.....सं0.....सन् 16.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित 3
	न्यायालय उप निदेशक कल्याण कोशी प्रमंडल, सहरसा आँगबाड़ी अपीलवाद सं0–190/2014 अपीलार्थी – श्रीमती मेहरूनिशा बनाम राज्य सरकार एवं अन्य **आदेश** प्रश्नगत अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है। इस अपीलवाद में आरोप यह है कि अपर समाहर्त्ता सुपौल द्वारा दिनांक 9.02. 2013 को 12:55 बजे दिन में केन्द्र का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के समय सेविका केन्द्र से अनुपस्थित थी किन्तु सहायिका उपस्थित थी केन्द्र पर उस वक्त में सिर्फ 13 बच्चें उपस्थित थे साथ ही पोषाहार भंडार पंजी में खर्च (निर्गत)राशि भरा हुआ था जबकि केन्द्र पर उस समय तक पोषाहार नहीं बनाया गया था। यही अनियमितता बरतने का आरोप लगाकर सेविका को चयन मुक्ति आदेश निर्गत किया गया जिसमें यह भी अंकित था कि सेविका श्रीमती मेहरूनिशा से बिगत 3 महीने की पोषाहार राशि की वसुली भी कर लिया जाय। उपरोक्त अनियमितता के आरोप में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय पत्रांक 820 /प्रो0 दिनांक 22.06.2013 द्वारा सेविका श्रीमती मेहरूनिशा एवं सहायिका श्रीमती बरीदा खातुन को अपना स्पष्टीकरण दिनांक 28.06.2013 को अपना देने हेतु जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए	

गए। सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में निरीक्षण तिथि का अनुपस्थिति के संबंध में बताया कि अचानक उनकी माँ का तबियत खराब हो गया था इस लिए केन्द्र पर छुट्टी का आवेदन देकर वह अपने ~~अपने~~ माँ के ईलाज हेतु डॉक्टर के पास चली गई थी एवं केन्द्र संचालन की सारी जबावदेही तथा उस दिन का पोषाहार की सामग्री सहायिका को उपलब्ध करा दी थी। सेविका ने यह भी बताया कि मैं उक्त निरीक्षण तिथि 09.02.2013 को छुट्टी का आवेदन माँ के अस्वस्थता के कारण सहायिका को देते हुए उसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय सुपौल में 10:40 बजे कार्यालय लिपिक को दिया जिससे सी0डी0पी0ओ0 सुपौल द्वारा भी स्वीकृत किया गया था।

सेविका द्वारा निर्धारित तिथि को अपना स्पष्टीकरण समर्पित करने एवं सी0डी0पी0ओ0 सुपौल द्वारा छुट्टी स्वीकृति उपरान्त भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने अपने ज्ञापांक 1039 दिनांक 28. 02.2014 द्वारा केन्द्र की सेविका मेहरूनिशा के चयनमुक्ति आदेश निर्गत किए। यह भी ज्ञातव्य हो कि स्पष्टीकरण के तिथि को उपस्थिति दौरान सी0डी0पी0ओ0 सुपौल ने भी बताया कि सेविका का कार्य संतोषजनक है।

इस अपीलवाद की सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 07. 08.2014 को हुई,जिसमें अपीलार्थी के अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता ने अपना–अपना पक्ष रखा, सबूत एवं कागजात अवलोकन हेतु रखे। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि यह सही है कि अपर समाहर्त्ता द्वारा दिनांक 09.02.2013 को 12:55 बजे केन्द्र का निरीक्षण किया गया, सेविका उस दिन अनुपस्थित थी, अनुपस्थिति का कारण उसकी अपनी माँ का तबीयत अचानक खराब होना था, जिसके कारण सेविका अपनी माँ को लेकर डॉक्टर के पास चिकित्सा हेतु गई थी, अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बतलाया कि सेविका मेहरूनिशा उस दिन का छुट्टी का आवेदन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुपौल को देकर गई थी जिसकी सूचना सहायिका को भी थी निरीक्षण के दिन अपर समाहर्त्ता सुपौल निरीक्षी पदाधिकारी को भी सहायिका ने इस बात की जानकारी संज्ञान में दी थी इसके बावजूद भी एक दिन का अनुपस्थिति दिखलाकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने चयन मुक्ति आदेश निर्गत किए जबकि निरीक्षी पदाधिकारी ने खुद अपने निरीक्षण टिप्पणी में छुट्टी आवेदन की चर्चा की है जिसे अवलोकन कराया गया।

अपीलार्थी की अधिवक्ता ने यह भी ध्यान आकृष्ट कराया कि C.W.J.C. NO.- 1285/2010 जो PLIR – 2011 (3) Page 141 के पारा 7 में अंकित है कि Leave application समर्पित करने के बाद सेविका की जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है लेकिन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल ने उक्त पारित आदेशों को नजर अंदाज किया जो सही नहीं है। पारित आदेश रखी जा रही है जो इस प्रकार है:–She could not be expected to move office to office or person to person for authorization of leave.

इसके साथ ही अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी

बतलाया कि सेविका श्रीमती मेहरू निशा तो मात्र एक दिन के लिए माँ की तबियत खराब होने के कारण डॉ0 के पास दिखाने हेतु छुट्टी ली थी, इस के साथ ही केन्द्र संचालन के सारी जबावदेही सहायिका को देकर एवं पोषाहार की सामग्री भी देकर प्रस्थान की थी। तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं माना जा सकता है फिर भी अगर कुछ समय के लिए अनुपस्थिति की बात मान भी ली जाय तो इसे भी गलत नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि c.w.j.c. no.- 317/2014 में पारित आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने भी एक दिन की अनुपस्थिति पर Termination को गलत माना है। उक्त पारित आदेश के अनुसार Oneday's absenee of an employee from her duty without leave in not such a grave charge that it may entail disengagement from her service. There fore, punishment awarded to the petitioner is apparently too harse and shocking.

अपीलार्थी के अधिवक्ता ने इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट कराया कि केन्द्र का निरीक्षण 09.02.2013 को किया गया एवं सेविका से स्पष्टीकरण 28.06.2013 को पूछा गया एवं चयनमुक्ति का आदेश दिनांक 28.02.2014 को किया गया जो लगभग सुनवाई के लगभग 8 महीने के बाद चयनमुक्ति आदेश निर्गत किया जो एक सोचनीय विषय है एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश दिखता है कि सेविका के प्रति वे पूर्वाग्रह से ग्रसित है।

उपरोक्त अंकित बातों के निष्कर्ष तौर पर कहा जा सकता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का आदेश ज्ञापांक 1039/प्रो0 दिनांक 28.02.2014 पुर्णतः गलत आदेश है जिसे यह न्यायालय निरस्त करती है। क्योंकि यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि जब एक दिन की अनुपस्थिति पर चयनमुक्ति आदेश ही गलत है तो सेविका से विगत 3 महीने का पोषाहार की राशि वसूलनीय भी सही प्रतित नहीं होता है। इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सुपौल को निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत केन्द्र सं0– 186 का 6 महीने तक नियमित रूप से समय–समय पर निरीक्षण करती रहें जिससे केन्द्र संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो साथ ही केन्द्र के लाभुक बच्चों, माताओं को इसका लाभ सही रूप से मिल सके निरीक्षण होने से केन्द्र की गुणवता एवं कार्य कुशलता उच्च पैमाने का हो सकेगा । तथा सेविका श्रीमती मेहरूनिशा को सेविका पद पर आदेश निर्गत तिथि से अपने कार्य पर बरकरार रखा जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

1.11.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा

1.11.2014.

उप निदेशक, कल्याण
कोशी प्रमंडल,सहरसा